

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प कानाना

सवाईलाल बनाम सरकार Rems... 2018/10005

किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं 237 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम को जमाना जाये हुए
15.05.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी सवाईलाल पुत्र मोहनलाल ने अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कानाना तहसील पचपदरा में पेश किया जो विविध दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड मौजा उमरलाई जागीर जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 71 में अशुध्द नाम शिवलाल पुत्र मोहनलाल दर्ज है। जिसको सवाईलाल पुत्र मोहनलाल राजस्व रेकर्ड में शुध्द व सही दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी उमरलाई तथा उप तहसीलदार जसोल की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड मौजा उमरलाई जागीर की जमाबन्दी खाता संख्या 71 में दर्ज अशुध्द नाम शिवलाल पुत्र मोहनलाल की जगह शुध्द नाम सवाईलाल पुत्र मोहनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।</p>	

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प.....

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,  
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कैम्प

कालोत्पा

01.09.18

-:आदेश:- 237/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 345/346 जमीन तहसील पुरनपुर जिला में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	3. जागरि	71	शिवलाल	स्वाइतल

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
कालोत्पा

दिनांक :- 15.5.18

कमांक :- 752-757

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रादली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
कालोत्पा